संख्या– VI/2005–368(पर्य0)2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
गढवाल मण्डल विकास निगम,
देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 30 नवम्बर, 2005

विषयः–औली में जोशीमठ–गोरसों रज्जू मार्ग हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम लि0 को ऋण के रूप में दी गयी धनराशि का अनुदान में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–419/तीन–1, दिनांक 19 जनवरी, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औली, जनपद चमोली, जोशीमठ–गोरसों रज्जू मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम को वर्ष 1977 से वर्ष 1993 के मध्य विभिन्न शासनादेशों के द्वारा कुल रू0 827.99 लाख की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई थी। इस रोप वे के संचालन वर्ष से ही यह हानि में चल रही है। इस दृष्टि से श्री राज्यपाल महोदय इस परियोजना हेतु स्वीकृत कुल ऋण रू0 827.99 लाख की धनराशि तथा उस पर देय ब्याज रू0 1084.46 लाख अर्थात् कुल रू0 1912.45 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ बारह लाख पैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि को अनुदान में परिवर्तित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत परियोजना हेतु पूर्व स्वीकृत कुल ऋण रू0 827.99 लाख से क्रय किये गये स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तियों का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0–97/XXVII(2)/2005, दिनांक 16 नवम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1391 VI/2005–368(पर्य0)2002 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, चमोली।
5– वित्त अनुभाग–2
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
10–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
11– एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।